18/6/25 आज पत्रावली वकील पक्षी के प्रार्थनापत्र पर पेश हुई। वकील पक्षी द्वारा प्रार्थनापत्र 023R। 9C 5 सत आशय का पेश किया गया। कि प्रकरण में न्यायालय की भावना से पक्षकारान में राजीनामा हो गया है। कोई विवाद शेष नहीं रहा है अतः प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर विड्रो किया जाकर खारिज किया जावे। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए दावा विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के साथ शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
बारी (धौलपुर) राज.